आदेश

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 16-12-2001 में अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषय के पद क्रमांक-1 के निर्णयानुसार स्व-वित्तीय योजना के अंतर्गत प्रौद्योगिकी संस्थान के व्याख्याता पद पर चयन हेतु विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 49 के प्रावधानानुसार गठित चयन समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुए गुणानुक्रम में द्वितीय स्थान पर चयनित एवं नियुक्त श्री अमित शर्मा द्वारा दिये गये त्यागपत्र की स्वीकृति के फलस्वरूप व्याख्याता के रिक्त पद पर चयन समिति द्वारा गुणानुक्रम में तृतीय स्थान पर चयनित श्री अमित खासकलम को वेतनमान रू. 8000--275--13500/- में उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रथमतः दो वर्ष की परिवीक्षावधि पर नियुक्त किया जाता है।

इस आदेश के फलस्वरूप इनकी नियुक्ति संबंधी आदेश क्रमांक-1420/स्थापना/प्रशासन/2001 दिनांक 10-8-2001 एवं संशोधित आदेश क्रमांक-1578/स्थापना/प्रशासन/2001 दिनांक 03-8-2001 उपरोक्त आदेश प्रसारण की तिथि से निरस्त किया जाता है।

इनका वेतन मूलभूत नियमों के अंतर्गत कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से निर्धारित किया जावेगा एवं इनकी सेवा-शर्तें अध्यादेश क्रमांक-4 एवं परिनियम 31 के अंतर्गत संचालित होगी।

इन्हें उक्त वेतनमान में समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत भत्ते देय होंगे।

इस मद में होने वाला व्यय स्व-वित्तीय योजना के अंतर्गत संचालित प्रौद्योगिकी संस्थान के बजट से विकलनीय होगा।

([illegible] त्रिवेदी)

कुलसचिव